जल सरंक्षण

पुरुस्कार

जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन

(वॉटर एण्ड सैनिटैशन सपोर्ट ऑरगेनाइजेशन)

(वासो, हरियाणा)

विषय :– जल सरंक्षण के प्रति प्रगतिशील ग्राम पंचायतों को जल स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग के जल एवं स्वच्छता सहायक सगंठन द्वारा पुरूस्कृत करने का उददेश्य है। वर्ष 2011 को बतौर जल सरंक्षण वर्ष मनाया गया था जिसमे मुख्यता ध्येय पेयजल के संसाधनों की सुरक्षितता व स्थिरता था। यह पुरुस्कार ग्राम पंचायतों का जिला स्तर पर हर वर्ष 26 जनवरी या 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रमों में दिया जाना है। पुरुस्कार (एक समय की खुली राशी) की योग्यता व राशी निम्न है :–

क) योग्यता :–

(i) जो ग्राम पंचायत सभी निजी व सार्वजनिक नलों पर टुटी लगवाना सुनिश्चित करे एवं

(ii) गांव में कम से कम 75% घरों में निजी पानी के स्वीकृत कनैक्शन हों।

ख) पुरुस्कार की राशि निम्न होगी :–

2001 की जनगणना के अनुसार गांव की जनसंख्या	पुरुस्कार की राशी
2000 तक	रूपये 20,000/–
2000 से अधिक व 3000 तक	रूपये 30,000/–
3000 से अधिक व 4000 तक	रूपये 40,000/–
4000 से अधिक	रूपये 50,000/–

नोट :– पुरुस्कार के लिए ग्राम पंचायत को ईकाइ समझा जाएगा जिसमें सभी आबादी देह शामिल होगीं।

पुरुस्कार देने के बारे में ग्राम पंचायत द्वारा सम्बन्धित जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियन्ता को प्रार्थना पत्र दिया जाएगा।

जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग के उपमण्डल अभियन्ता व जिला के उपायुक्त द्वारा विकास एवं पंचायत विभाग से मनोनित अधिकारी की कमेटी, ग्राम पंचायत को पुरुस्कार की योग्यता की जांच व पुष्टि करेगी । उपरोक्त कमेटी द्वारा जांच उपरान्त अपनी रिपोर्ट जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग के सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता को भेजी जाएगी। पुरुस्कार प्रदान करने की अनुमति जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियन्ता द्वारा कार्यकारी अभियन्ता व कमेटी की सिफारिश के आधार पर दी जाएगी।

पुरूस्कार की राशि की अदायगी जन स्वास्थय अभियांन्त्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियन्ता द्वारा की जाएगी । इसका खर्च राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (सहायता फण्ड) से चार्ज किया जाएगा । यह पॉलिसी राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम के चलते रहने तक चालू रहेगी ।